2020/00145

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2020 बउनवानी महेन्द्र वर्मा बनाम लोक.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एडवोकेट, कोषालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर सवाईमाधोपुर कार्यालय हाजा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.11.2020	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 29.8.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भिजवाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलेक्ट के पत्रांक एफ. 2(89)सूकाअ/2020/ 1428–30 दिनांक 04.09.2020 से प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि ग्राम पंचायत खिलचीपुर पंचायत समिति सवाईमाधोपुर द्वारा जारी (भूमि विक्रय विलेख) पटटा सरपंच ग्राम पंचायत खिलचीपुर प.स. सवाईमाधोपुर द्वारा एक रसीद क्रमांक 291 दिनांक 16.12.1979 को काट कर जारी किया यह पटटा मांगीलाल उर्फ मांग्या पुत्र रामसुखा निवासी खिलचीपुर सवाईमाधोपुर को मिसल संख्या 31/1979–1980 पर दिनांक 16.12.1979 को जारी किया था आवेदक को पटटा की प्रमाणित नकल दो प्रतियो में चाहिए एवं 14.4.1985 को पटटा की नकले चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/रिकार्ड/2020/178 दिनांक 20.10.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.2020 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही होने के संबध में जरिये पत्रांक 146 दिनांक 1.10.2020 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.8.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार में जमा नही होने/उपलब्ध नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक 146 दिनांक 1.10.2020 से अधिनियम की तय समय सीमा में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही है इसलिए अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Nannu Mal Pahadia Date: 2020.12.24 15:28:04 IST Reason: SelfAttested (नन्नू मल पहाडिया) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर